"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च 2007—फाल्गुन 25, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक ई-1-01/2007/एक/2.—श्री नारायण सिंह, भा. प्र. से. (1977) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं श्रम विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक श्रम आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री नारायण सिंह, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. डी. पी. राव, श्रम आयुक्त के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 9-4/07/1-8.—श्रीमती दर्शनिता बी. अहलूवालिया, भारतीय रेलवे पर्सनल सर्विस, बिलासपुर की सेवायें जनरल मैनेजर, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल्वे, बिलासपुर द्वारा आदेश दिनांक 12-02-2007 से राज्य शासन को सौंपी गई हैं. अत: श्रीमती अहलूवालिया की पदस्थापना भोरमदेव शक्कर कारखाना, जिला कबीरधाम (छ. ग.) में पदस्थ करने हेतु इनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से सहकारिता विभाग को सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

क्रमांक 546/137/2007/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 22-2-2007 से 3-3-2007 तक 10 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजीव बक्शी को उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव बक्शी अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

क्रमांक 548/127/2007/1-8/स्था.—श्री अनिल राय (भावसे), विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 30-1-2007 से 15-2-2007 तक 17 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल राय को विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल राय अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक 1922/डी-746/21-ब/छ. ग./2007.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 4070/डी-746/21-ब/छ. ग./06 दिनां 17-04-06 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के प द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स

"फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रक कोर्ट की संख्या (4)
1.	जगदलपुर	जगदलपुर	1
2.	कांकेर	कांकेर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	3
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	6
		बालोद	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	कबीरधाम (कवर्धा)		1
11.	सरगुजा	सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	2
12.	कोरिया (बैकुंठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	31

Raipur, the 26th February 2007

No. 1922/D-746/21-B/C. G./2007.--In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act. 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 4070/ D-746/21-B/C. G./2006, Raipur. dated 17-4-06 of this department, the State Government. on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Jagdalpur	1
2.	Kanker	Kanker	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	3
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	6
		Balod	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Kawardha (Kabirdham)	Kawardha	1

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Sarguja	Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	2
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	**31**

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक 1949/डी-746/21-ब/छ. ग./2007.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1922/डी-746/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 26-02-2007 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	जगदलपुर	जगदलपुर	1
2.	कांकेर	कांकेर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	6
		बालोद	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	कबीरधाम (कवर्धा)	कवर्धा	1
11	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	1
		सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	2
12.	कोरिया (बैकुंठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	31

Raipur, the 27th February 2007

No. 1949/D-746/21-B/C. G./2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 1922/D-746/21-B/C. G./2006, Raipur, dated 26-2-2007 of this department, the State Government, on the recommendations of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Jagdalpur	1
2.	Kanker	Kanker	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	6
		Balod	1
7.	Raigarh	Raigarh	2
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Kabirdham (Kawardha)	Kawardha	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	2
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	**31**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, उप-सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक 441 एफ-2-7/सं./30-संशोधन.—राज्य शासन एतद्द्वारा कलाकारों/साहित्यकारों तथा उनके परिवार के सदस्यों को सहायता देने के लिए छत्तीसगढ़ कलाकार कल्याण कोष नियम 1982 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियम में,—

1. नियम 2 के उप नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए "कोष से राशि का आहरण एवं वितरण संचालक/आयुक्त संस्कृति एवं पुरातत्व या उनके द्वारा नामजद किसी अधिकारी द्वारा कोषालय से देयक द्वारा राशि आहरित कर नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति की अनुशंसा के अनुरूप हितग्राहियों को राशि का भुगतान ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा किया जायेगा".

2. नियम 3 के उप नियम (4) में "सामान्यत: 500/- से 5,000/- रुपये तक हो सकेगी" शब्दों एवं अंकों के स्थान पर, शब्द एवं अंक "अधिकतम सीमा 15,000/- रुपये तक हो सकेगी" स्थापित किया जाए.

3. ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

Raipur, the 27th February

No. 441 F-2-7/C/30-Amendment.—The State Government, in order to provide financial assistance to the Artists/Litterateurs and their family members hereby make the following amendment to the "Chhattisgarh Artists Welfare Funds Rules 1982" :-

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In place of existing sub-rule 4 of rule 2 the following shall be substituted "Money shall be drawn from the fund and disbursed by the Director/Commissioner, Culture and Archaeology or any officer nominated by him who shall draw the money from the Treasury by means of a bill and pay to the concerned beneficiaries as per the recommendation of the committee constituted under rule 6 by means of Demand Draft/Banker's Cheque".

2. In sub-rule (4) of rule 3, in place of the words and figures "can be normally from Rs. 500 to Rs. 5000/-" the words & figures "can be up to a maximum of Rs. 15000/-" shall be substituted.

3. These amendments shall take effect From the date of publication in the official Gazette.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. राधाकृष्णन, प्रमुख सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
(वित्त तथा योजना विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 8-6/2005/23/वि. यो.—राज्य शासन एतद्द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के कंडिका-6.3 के बिन्दु क्रमांक-1 के तहत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की समीक्षा हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया जाता है :-

1.	मुख्य सचिव, छ. ग. शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव लोक निर्माण विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव अनु. जाति तथा अनु. ज. जाति कल्याण विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव नगरीय प्रशासन विकास विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव जल संसाधन विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव/सचिव वन विभाग	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव/सचिव वित्त एवं योजना विभाग	सदस्य सचिव

2. समीक्षा बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना है. बैठक में मान. लोक सभा/राज्यसभा सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जाना है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. बिशी, विशेष सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
[वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग]
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

क्रमांक एफ -6-196/2006/वाक (आब)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा मूलभूत नियम (फण्डामेंटल रूल्स) के नियम 56 के प्रावधानों के तहत श्री एन. के. तिवारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी, बिलासपुर जो कि माह मई, 2007 में अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करेंगे, को माह मई, 2007 के अंतिम दिन अर्थात् दिनांक 31-5-2007 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

क्रमांक एफ 3/01/2005/38.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01-03-2005 द्वारा डॉ. शरद कुमार बाजपेयी, प्राध्यापक, रसायन शास्त्र, बी. एम. दुबे स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर को दो वर्षों के लिए पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर के कुलसचिव पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किया गया था.

2. राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश के तारतम्य में डॉ. शरद कुमार बाजपेयी, कुलसचिव, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, बिलासपुर की प्रतिनियुक्ति की अवधि में दिनांक 30-06-2007 तक वृद्धि की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

संशोधन

क्रमांक एफ-19-32/दो-गृह/2007.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक पत्र दिनांक 16-11-2005 द्वारा कृषि विभाग के कृषि कार्यपालिक अधिकारियों का "लेखा प्रथम (पुस्तकों सहित) द्वितीय (बिना पुस्तकों के)" विषय में परीक्षा केन्द्र जगदलपुर के सरल क्रमांक-05 पर श्री देवेन्द्र कुमार कश्यप, कृषि विकास अधिकारी के स्थान पर "श्री रेवेन्द्र कुमार कश्यप, कृषि विकास अधिकारी" पढ़ा जावे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
एस. आर. दिव्य, उप-सचिव.

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 1-19/स्था./31/2007.—राज्य शासन द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, श्री पी. आर. अग्रवाल, (मुख्य अभियंता सिविल) वर्तमान में मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) रायपुर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ, की सेवायें पैतृक विभाग में वापिस लेते हुये, स्थानापन्न प्रमुख अभियंता के पद पर, वेतनमान रुपये 18400-500-22400/- में पदोन्नत कर, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग रायपुर (श्री सुजीत कुमार भादुड़ी प्रमुख अभियंता की सेवानिवृत्ति दिनांक 28-2-2007 से रिक्त पद) में पदस्थ किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 28 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 1-20/स्था./31/2007.—राज्य शासन द्वारा, निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (सिविल) को, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मुख्य अभियंता (सिविल) के पद पर स्थानापन्न रूप से, वेतनमान रुपये 16400-450-20000/- में पदोन्नत करते हुए, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान में पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अधिकारी का नाम, पद व वर्तमान पदस्थापना	वरिष्ठता क्रमांक	पदोन्नत कर जहां पदस्थ किया जाना है, पद एवं स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री के. जी. गुप्ता, अधीक्षण अभियंता/ प्रभारी मुख्य अभियंता हसदेव कछार, बिलासपुर.	01	मुख्य अभियंता, हसदेव कछार, बिलासपुर.
2.	श्री जे. के. कुक्कल, अधीक्षण अभियंता/ प्रभारी मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, रायपुर.	02	मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी, कछार, रायपुर.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 20-01/07/11/(6).—सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 27) की धारा 21 की उपधारा (3) सहपठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल नियम, 2006" है.

(2) ये "राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का सं. 27) ;

(ख) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धाराएं ;

(ग) "माध्यस्थम और सुलह अधिनियम" से अभिप्रेत है, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का सं. 26) ;

(घ) "अभिकर्ता" से अभिप्रेत है, विवाद के किसी पक्षकार द्वारा उस पक्षकार को काउन्सिल के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया कोई व्यक्ति ;

(ङ) "आवेदक" से अभिप्रेत है, किसी विवाद का ऐसा पक्षकार जो काउन्सिल को निर्देश करता हो ;

(च) "काउन्सिल" से अभिप्रेत है, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा स्थापित सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल ;

(छ) "संस्था" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) व (3) में निर्दिष्ट विवाद निराकरण सेवा का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु कोई संस्था या केन्द्र ;

(ज) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, संचालक उद्योग चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाए अथवा कोई अन्य अधिकारी राज्य शासन के संचालक, उद्योग की श्रेणी से निम्न न हो ;

(झ) "संघ का प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित एवं राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति.

3. **सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल की संरचना** :—

(1) काउन्सिल निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(एक) आयुक्त उद्योग/संचालक उद्योग, छत्तीसगढ़ जो काउन्सिल का अध्यक्ष होगा ;

(दो) राज्य में सूक्ष्म अथवा लघु उद्योग या उद्यम संघों के एक अथवा अधिक पदाधिकारी अथवा प्रतिनिधि ;

(तीन) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के एक अथवा अधिक प्रतिनिधि ;

(चार) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उद्योग, वित्त, विधि, व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र का विशेष ज्ञान रखने वाले एक या अधिक व्यक्ति ;

(2) उप नियम (1) के खण्ड (दो), (तीन) और (चार) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि उनके नाम-निर्देशन की तारीख से दो वर्ष की होगी.

(3) कोई सदस्य काउन्सिल के अध्यक्ष को लिखित में एक माह की सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और तदुपरि वह काउन्सिल का सदस्य नहीं रहेगा.

(4) राज्य शासन किसी भी सदस्य को पद/काउन्सिल से हटा सकेगी :-

(एक) यदि वह विकृत मानसिकता का हो और इसके लिये उस सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो ;

(दो) यदि वह दिवालिया या बैंकरप्ट या उसने अपने ऋणदाताओं का भुगतान रोक दिया हो ; या

(तीन) यदि वह किसी अपराध का दोषसिद्ध हो जो कि भारतीय दण्ड विधान, 1860, (1860 का सं. 45) के अन्तर्गत दण्डनीय हो ; या

(चार) यदि वह काउन्सिल की लगातार तीन बैठकों से, अध्यक्ष की अनुमति के बिना और किसी मामले में लगातार पांच बैठकों से अनुपस्थित रहता है ;

(पांच) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता हो, जो कि शासन की राय में, सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए, सरकार की राय में, ऐसा वित्तीय या अन्य हित, सामान रूप से अर्जित करता हो.

(5) जब काउन्सिल के किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या पद त्याग देता है या पद त्याग चुका है समझा जाता है या पद से हटा दिया जाता है या सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य रहता है, राज्य सरकार रिक्तियों को भरने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी.

4. **काउन्सिल की बैठक :—**

(1) काउन्सिल की बैठक एक मास में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर आयोजित होगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए.

(2) साधारणतया बैठक के लिए कम से कम सात दिन पूर्व सूचना दिए जायेंगे, तथापि अत्यावश्यक बैठक के मामले में अध्यक्ष के रूप में पर्याप्त विचार करने ऐसे अल्प समय में सूचना पर बुलाया जा सकेगा.

(3) काउन्सिल का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उनके बीच से वर्तमान सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य, काउन्सिल की बैठकों की अध्यक्षता करेगा.

(4) काउन्सिल के बैठक की गणपूर्ति,काउन्सिल के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई से होगी. यदि किसी समय गणपूर्ति न हो, तो काउन्सिल का अध्यक्ष बैठक को भविष्य की किसी ऐसी तारीख और समय तक के लिये स्थगित कर देगा, जैसा कि वह नियत करे और ऐसे बैठक के लिये एक नई सूचना दी जाएगी तथा ऐसे स्थगित बैठक के लिये कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी.

(5) काउन्सिल के बैठकों में समस्त प्रश्नों को वर्तमान सदस्यों के मतों की बहुसंख्या के द्वारा विनिश्चित किया जाएगा तथा मतों के समानता के मामले में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक पर अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

5. **अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :—**

(1) आवेदक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 18 के तहत अपना आवेदन काउन्सिल को प्रस्तुत करेगा.

(2) किसी क्रेता से शोध्य कोई रकम, उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार संगणित ब्याज की रकम के साथ, प्रदायकर्त्ता द्वारा क्रेता से, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वाद या अन्य कार्यवाहियों द्वारा वसूली योग्य होगी. प्रदायकर्त्ता, प्रदाय का पूर्ण विवरण एवं उसकी स्थिति, प्रदाय सामग्री या सेवाएं, भुगतान की शर्त यदि कोई हो, विक्रेता एवं क्रेता की सहमति हो, प्राप्त वास्तविक भुगतान मय दिनांक आदि जानकारी अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा.

(3) किसी विवाद का कोई पक्षकार काउन्सिल को इन नियमों से संलग्न प्रारूप में अपने दावे के समर्थन में तथ्य, विवाद्यक बिन्दु तथा चाहा गया अनुतोष या उपचार दर्शाते हुए व्यक्तिश: या किसी अभिकर्त्ता द्वारा या काउन्सिल के अध्यक्ष को संबोधित रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आवेदन फाइल कर सकेगा.

(4) आवेदन दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा.

(5) आवेदक को आवेदन शुल्क के रूप में ऐसी धनराशि भुगतान करना होगा जैसा कि शासन द्वारा समय-समय पर विहित किया जाए.

(6) जहां प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक हो, वहां आवेदन की उतनी अतिरिक्त प्रतियां आवेदक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी जितने कि प्रत्यर्थी हों.

(7) यदि छानबीन करने पर आवेदन ठीक पाया जाए, तो उसे सम्यक् रूप से पंजीकृत किया जाएगा और उसे अनुक्रमांक दिया जाएगा.

(8) यदि छानबीन करने पर आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाए और ध्यान में आई त्रुटि औपचारिक स्वरूप की है, तो अध्यक्ष आवेदक को अपनी उपस्थिति में सुधारने के लिये अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक स्वरूप की नहीं है तो अध्यक्ष, आवेदक को त्रुटि सुधारने के लिये ऐसे समय अनुज्ञात कर सकेगा जैसा कि वह ठीक समझे. परिशोधन के लिये समय 15 दिन से अधिक नहीं होगा.

(9) यदि आवेदक, उप नियम (7) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि सुधारने में असफल रहता है, तो अध्यक्ष आदेश द्वारा और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आवेदन को पंजीकृत करने से इंकार कर सकेगा और आवेदक को तद्नुसार लिखित में सूचित कर सकेगा.

(10) प्रकरण रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात्, काउन्सिल साथ ही आवेदक द्वारा फाइल किए गए आवेदन की एक प्रति के साथ अनावेदक को सूचना जारी करेगी.

(11) यदि प्रत्यर्थी सूचना लेने से इंकार करता है तब ऐसे इंकार को सूचना तामील करने वाले व्यक्ति द्वारा उस सूचना में पृष्ठांकित किया जाएगा और उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे प्रत्यर्थी को तामील कर दिया गया है.

(12) आवेदन का प्रतिवाद करने का आशय रखने वाला प्रत्येक प्रत्यर्थी उसे आवेदन की सूचना की तामील के 15 दिन के भीतर आवेदन का उत्तर काउन्सिल के अध्यक्ष को दो प्रतियों में फाइल करेगा.

(13) प्रत्यर्थी उत्तर में आवेदक द्वारा अपने आवेदन में कथित तथ्यों को विनिर्दिष्ट रूप से स्वीकार करेगा, उसका प्रत्याख्यान करेगा या उन्हें स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों को भी कथित करेगा जो मामले के न्यायसंगत विनिश्चिय के लिए आवश्यक समझे जाएं.

(14) काउन्सिल विहित कालावधि का अवसान होने के पश्चात् भी उत्तर फाइल करने के लिये अनुज्ञात कर सकेगी.

(15) पक्षकार अपने कथन के साथ ऐसे समस्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे जिन्हें वे सुसंगत समझते हों या अन्य साक्ष्य के दस्तावेजों से उनका संदर्भ जोड़ सकते हों.

(16) कोई पक्षकार कार्यवाहियों के दौरान अपने दावे या प्रतिवाद को तब तक संशोधित कर सकेगा या उसमें अनुपूरक लगा सकेगा जब तक काउन्सिल ऐसे संशोधन या अनुपूरक को अनुज्ञात करना अनुचित न समझे.

(17) काउन्सिल यह विनिश्चय करेगी कि क्या साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के लिए या मौखिक बहस के लिये मौखिक सुनवाई की जाए या कार्यवाहियां दस्तावेजों तथा अन्य सामग्रियों के आधार पर संचालित की जाएं.

परन्तु काउन्सिल किसी पक्षकार के अनुरोध पर, कार्यवाही के समुचित प्रक्रम पर मौखिक सुनवाई तब तक करेगी जब कि पक्षकार उस बात पर सहमत न हो जाएं कि कोई मौखिक सुनवाई नहीं की जावेगी.

(18) पक्षकारों को किसी सुनवाई की तथा काउन्सिल के किसी बैठक की पर्याप्त अग्रिम सूचना दी जाएगी.

(19) जहां कोई पक्षकार किसी पर्याप्त हेतुक के बिना किसी मौखिक सुनवाई में उपसंजात होने में या दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने में असफल रहता है, तब काउन्सिल कार्यवाहियां जारी रख सकेगी और उसके समक्ष साक्ष्य के आधार पर अधिनिर्णय कर सकेगी.

(20) सुलह का संचालन करने के लिए, ऐसे संस्था या केन्द्र के संदर्भ में बनाये रखने के लिए वैकल्पिक विवाद निराकरण सेवा में उपबंधित कोई संस्था या केन्द्र का सहायता लेने या इसके पहले प्रत्येक संदर्भित स्थान में या तो स्वयं सुलह संचालन करेगी, माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 के धारा 65 से 81 के उपबंधों में ऐसे संदर्भ के अनुसार आवेदन किया जाएगा जैसा कि यदि सुलह इस अधिनियम के भाग तीन के अधीन सूत्रपात किया जा रहा था.

(21) काउन्सिल या संस्था, जिनको विक्रेता एवं क्रेता के मध्य सुलह हेतु निर्दिष्ट किया गया हो, के समक्ष उपस्थित होने हेतु संबंधितों को सूचना पत्र जारी किया जायेगा. उभयपक्षों के उपस्थित होने पर प्रथमतया काउन्सिल या संस्था द्वारा विक्रेता एवं क्रेता के मध्य सुलह

हेतु प्रयास किया जायगा. तत्संबंध में संस्था अपना प्रतिवेदन काउन्सिल द्वारा निर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से 15 दिवस में काउन्सिल के समक्ष प्रस्तुत करेगी या उस समयावधि में जैसा कि काउन्सिल द्वारा उल्लेख किया गया हो.

(22). अगर विवाद सुलह हेतु किसी निश्चय पर नहीं पहुंचता है तब काउंन्सिल या तो स्वयं विवाद के अंतिम निश्चय के लिये मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन करेगा या माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के तहत किसी संस्था को ऐसे मध्यस्थ के लिये उल्लेख करेगा. विक्रेता एवं क्रेता या तो स्वयं या अपने किसी अधिवक्ता, जो किसी न्यायालय में पंजीकृत हो, के माध्यम से काउन्सिल या संस्था के समक्ष जारी मध्यस्थ की कार्यवाही के दौरान अपना पक्ष रख सकेंगे. संस्था अपना प्रतिवेदन काउन्सिल को ऐसे दिये गये समय में प्रस्तुत करेगी जैसा कि काउन्सिल द्वारा अनुबंध किया गया हो.

(23) काउन्सिल, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम ,1996 की धारा 31 के अनुसार एवं उस समयावधि में जैसा कि अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, अवार्ड पारित करेगी. अवार्ड प्रवृत्त संगत कानून के अनुसार मुद्रांकित किया जावेगा.

(24) अधिनियम की धारा 15 से 23 के उपबंध इससे भिन्न तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट से असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे.

(25) अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी सलाहकार समिति के सदस्य सचिव को काउन्सिल की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रेषित करेगा.

6. **काउन्सिल का विनिश्चय :—**

(1) पक्षकारों या अन्य साक्षियों का परीक्षण द्वारा मामले के तथ्यों को अभिनिश्चित करने के पश्चात् या दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर या मौखिक बहस के पश्चात्, काउन्सिल अपने विनिश्चिय के आधार दर्शाते हुए आदेश अभिलिखित करेगी और संबंधित आवेदक एवं प्रत्यर्थी को विनिश्चय संसूचित करेगी.

(2) काउन्सिल का विनिश्चय उसके समस्त सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा.

(3) काउन्सिल द्वारा पारित प्रत्येक आदेश पर तारीख डाली जाएगी और काउन्सिल के प्रत्येक उपस्थित सदस्य द्वारा उस पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे.

(4) उक्त अधिनियम की धारा (16), (17) और (18) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए काउन्सिल का विनिश्चय अंतिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा.

7. **समझौता :—**

(1) काउन्सिल कार्यवाहियों के दौरान किसी समय पक्षकारों के बीच समझौते को प्रोत्साहित करने के लिये मध्यस्थता, सुलह या अन्य प्रक्रिया का उपयोग कर सकेगी.

(2) यदि काउन्सिल की कार्यवाहियों के दौरान पक्षकार अपने बीच विवाद का समझौता करने के लिये सहमत होते हैं तो काउन्सिल कार्यवाहियों को समाप्त कर देगी और यदि पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया जाए और काउन्सिल द्वारा उस पर आपत्ति न की जाए तो सहमत पाए गए निबंधनों पर अधिनिर्णय के रूप में समझौते को अभिलिखित करेगी.

(3) काउन्सिल अंतरिम आदेश भी पारित कर सकेगी.

8. **परिसीमा :**—काउन्सिल अपने समक्ष फाइल किये गये विवाद का विनिश्चय, विवाद के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 90 दिन के भीतर करेगी.

परन्तु आयुक्त/संचालक, उद्योग, यदि वह उचित समझे, कालावधि को बढ़ा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

प्रारूप

[नियम 5 का उपनियम (3) देखिए]

सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसीलिटेशन काउन्सिल को निर्देश करने का प्रारूप

1. आवेदक का पता सहित नाम :
2. प्रत्यर्थी का पता सहित नाम :
3. दावे का स्वरूप :
4. दावा किये गये संदाय की रकम :
5. दावा किये गये ब्याज की रकम :
6. कुल दावा :
7. चाहा गया कोई अन्य अनुतोष :
8. दावे का संक्षिप्त विवरण :
9. दावे के समर्थन में दस्तावेजों का ब्यौरा (परिशिष्ट-1 व 2) :
10. साक्षी, यदि कोई हो, के नाम और पते :
11. जमा किये गये आवेदन शुल्क की रकम का विवरण. :
12. दावे से सुसंगत कोई अन्य जानकारी :

स्थान :-

तारीख :-

आवेदक के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-1

अनु क्रमांक	बिल/ बीजक का दिनांक	बिल/ बीजक क्रमांक	बिल/ बीजक रकम	भुगतान की रसीद का दिनांक	प्राप्त रकम	देय शेष रकम	अदायगी ब्याज/ देर की कालावधि		देय दिनों पर	ब्याज के दर पर आवेदन	ब्याज की रकम	शेष रकम ब्याज के साथ	खरीदी आदेश क्रमांक तथा सप्लाई की तारीख	देय डिलवरी की तारीख	विस्तारित डिलवरी की तारीख
							से	तक							

परिशिष्ट-2

आवेदक से अपेक्षित

1. विधेयक की कापी, डिलवरी, चालान या कोई अन्य डिलवरी का सबूत,
2. सप्लाई के लिए करार की अवधि,
3. क्रेता से सप्लाई के संबंध में व्यवहार पता यदि कोई हो तो,
4. एस. एस. आई. के सहयोग में मशीन एवं प्लांट में इन्वेस्टमेंट के संबंध में सी. ए. प्रमाण-पत्र,
5. कौंसिल में याचिका फाईल के वर्ष के लिए बैलेंसशीट की कापी तथा पहली सप्लाई के वर्ष के लिए बैलेंसशीट,
6. डीटीआईसी के स्थायी रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की कापी,
7. हित के दावे की कालावधि के लिए पक्षकर क्रेता की ए/सी की पूरी कापी,
8. अवधि में प्राप्त आदेश का विवरण,
9. स्पष्टीकरण, डिलवरी का दिनांक एवं आदेश से संबंधित बिल देना,
10. बिल के विरुद्ध समुचित रसीद का दिनांक,
11. प्रत्येक निर्धारित दर के अनुसार नियुक्ति दिन से हित का गणना प्रदत्त करना.

Raipur, the 23rd February 2007

No. F 20-01/07/11/(6).—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub-section (3) of section 21 of the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006), State Government hereby make the following rules, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement :—**

(1) These Rules may be called the "Chhattisgarh, Micro and Small Enterprises Facilitation Council Rules 2006".

(2) It shall come into force with effect from date of its publication in the "Official Gazette."

2. **Definitions :—**In these Rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006) ;

(b) "Section" means section of the Act ;

(c) "Arbitration and Conciliation Act" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (No. 26 of 1996) ;

(d) "Agent" means a person duly authorised by a party to the dispute to represent that party before the Council ;

(e) "Applicant" means a party to a dispute who makes a reference to the Council ;

(f) "Council" means the Micro and Small Enterprises Facilitation Council established by the State Government under section 20 of the said Act ;

(g) "Institute" means any institution or centre providing alternate dispute resolution services referred to in sub-section (2) and (3) of section 18 of the said Act;

(h) "Chairperson" means the Director of Industries by whatever name called or any other officer not below the rank of Director of Industries of the State Government;

(i) "Representative of Association" means a person authorised by the President of any Industry Association located in the State of Chhattisgarh and recognised by the State Government.

3. **Composition of the Micro and Small Enterprises Facilitation Council—**The Council shall consist of the following members, namely :-

(i) Commissioner of Industries/Director of Industries, Chhattisgarh, who shall be the Chairperson of the Council;

(ii) One or more office-bearers or representatives of Associations of Micro or Small Industry or enterprise in the State;

(iii) One or more representatives of Banks and financial institutions lending to Micro or Samll enterprises;

(iv) One or more persons having special knowledge in the field of Industry, Finance, Law, Trade and Commerce to be nominated by the State Government.

(2) The terms of the members nominated under clause (ii), (iii) and (iv) of sub-rule (1) shall be two years from the date of their nomination.

(3) A member may resign his/her office by giving one month notice in writing thereof to the Chairperson of the Council and shall thereupon cease to be a member of the council.

(4) The Government may remove any member from office/Council :-

(i) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(ii) if he becomes insolvent or bankrupt or suspends payment to his creditors ; or

(iii) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code, 1860 (Act as XLV of 1860) ; or

(iv) if he absents himself form three consecutive meetings of the Council without assent of the Chairpersons, and in any case from five consecutive meetings ; or

(v) Acquires such financial or other interest as is likely, in the opinion of the Government, to affect prejudicially his functions as a member.

(5) When a member of the council dies or resigns or is deemed to have resigned or is removed from office or becomes incapable of acting as a member, the Government may by notification in the official gazette appoint a person to fill that vacancy.

4. **Meeting of the Council :—**

(1) The meeting of the Council shall be held at least once in a month at such time and place as may be decided by the Chairperson.

(2) At least seven days' notice shall ordinarily be given for any meeting. However, in case of urgency a meeting may be called at such shorter notice as the chairperson may consider sufficient.

(3) The Chairperson of the Council or in his absence a member elected by the members present from amongst themselves shall preside over the meetings of the Council.

(4) The quorum of the meeting of the Council shall be two third of the total number of members of the Council. If at any time, the quorum is not present, the chairperson of the Council shall adjourn the meeting to such future date and time as he may fix and a fresh notice shall be given for such meeting and no quorum shall be necessary for such adjourned meeting.

(5) All questions at the meetings of the Council shall be decided by a majority of the votes of the members present and in case of equality of votes, the Chairperson or in his absence the person presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

5. **Procedure to be followed :—**

(1) Applicant make a reference to the Council under section 18 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

(2) The amount due from a buyer together with the amount of interest calculated in accordance with section 16 of the said Act shall be recoverable by the supplier from the buyer by way of a suit or other proceedings under any law for the time being in force. Supplier shall contains full particulars of the supply and its status, supplied goods or services, terms of payment, if any, agreed between the supplier and buyer, actual payment received with date etc., in the application.

(3) Any party to a dispute may file an application to the Council in the form appended to these rules stating the facts supporting his claim, the points at issue and the relief or remedy sought in person or by any agent or by registered post with acknowledgment due addressed to the Secretary of the Council.

(4) The application shall be presented in duplicate.

(5) The applicant will have to pay such application fee as prescribed by State Government from time to time.

(6) Where the number of respondents is more than one, as many extra copies of the application as there are respondents, shall be furnished by the applicant.

(7) If on scrutiny, the application is found to be in order it shall be duly registered and given a serial number.

(8) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Chairman may allow the applicant to rectify the same in his presence and if the said defect is not formal in nature the Chairman may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit. The time for rectification shall not be more than 15 days.

(9) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (7) the Chairman may by order and for reasons to be recorded in writing decline to register the application and inform the applicant accordingly in writing.

(10) After registering the case, Council shall issue a notice to the non-applicant accompanied by a copy of the application filed by the applicant.

(11) If the respondent refuses to take notice then such refusal shall be endorsed in the notice by the person serving the notice and it shall be deemed to have been served on the respondent.

(12) Each respondent intending to contest the application shall file in duplicate the reply of the application to the Chairman of the Council within 15 days of the service of the notice of application on him.

(13) In reply, the respondent shall specifically admit, deny of explain the facts stated by the appplicant in his application and also state such additional facts as may be found necessary for a just decision in the case.

(14) The Council may allow filing of the reply after the expiry of the prescribed period.

(15) The parties may submit with their statement all documents which they consider to be relevant or may add a reference to the documents of other evidence.

(16) Either party may amend or supplement the claim or defence during the course of the proceedings unless the Council considers it inappropriate to allow such amendment or supplement.

(17) The Council shall decide whether to hold oral hearing for the presentation of evidence or for oral argument or whether the proceedings shall be conducted on the basis of documents and other materials.

Provided that the council shall hold oral hearing at an appropriate stage of the proceeding on a request by a party unless the parties have agreed that no oral hearing shall be held.

(18) The parties shall be given sufficient advance notice of any hearing and of any meeting of the Council.

(19) Where without sufficient cause a party fails to appear at an oral hearing or to produce documentary evidence, the Council may continue the proceedings and make the award on the basis of evidence before it.

(20) The Council shall either it self conduct conciliation in each reference placed before it or seek the assistance of any institute or centre providing alternate disput resolution services by making a reference to such an institution or centre, for conducting conciliation. The provisions of sections 65

to 81 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 shall apply to such a reference as if the conciliation was initiated under Part III of the this Act.

(21) The Council or the institute to which it has been referred for conciliation shall require the supplier and the buyer concerned to appear before it by issuing notices to both parties in this behalf. On the appearance of both parties, the Council or the institute shall first make efforts to bring about conciliation between the buyer and the supplier. The institute shall submit its report to the Council within fifteen days of reference from the Council or with in such period as the Council may specify.

(22) When such conciliation does not lead to settlement of the dispute, the Council shall either itself act as an Arbitrator for final settlement of the dispute or refer it to institute for such arbitration, in accordance with the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The supplier or the buyer may, either in person or through his lawyer registered with any court, present his case before the Council or the institute during the arbitration proceedings. The institute shall submit its report to the Council with in such time as the Council may stipulate.

(23) The Council shall make an arbitral award in accordance with section 31 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and within the time specified in sub-section (5) of section 18 of the Act. The award shall be stamped in accordance with the relevant law in force.

(24) The provisions of sections 15 to 23 of the Act, shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

(25) The Chairperson or any other officer authorised by the Chairperson shall forward the proceedings of every meeting of the council including annual progress report of the Council to the Member Secretary of the Advisory Committee.

6. **Decision of the Council—**

(1) After asceratining the facts of the case by examining the parties or other witnesses or on inspection of the documents or after hearing oral arguments, the Council shall record an order showing the grounds for its decisions and communicate the decision to the applicant and respondent concerned.

(2) The decision of the Council shall be made by majority of all its members.

(3) Every order passed by the Council shall be dated and shall also be signed by every member of the Council present.

(4) Subject to the provisions of section (16), (17) and (18) of the said Act, the decision of the Council shall be final and binding on the parties.

7. **Settlement—**

(1) The Council may use mediation, conciliation or other procedure at any time during the proceedings to encourage a settlement, between the parties.

(2) If during the proceedings of the Council the parties agree to settle the dispute among themselves, the Council shall terminate the proceedings and if requested by the parties and not objected to by the Council, record the settlement in the form of an award on agreed terms.

(3) The Council may also pass interim orders.

8. **Limitation**—The Council shall decide the dispute filed before it within 90 days from the date of registration of the dispute.

Provided that Commissioner/Director of Industries may extend the period as deemed fit.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Special Secretary

FORM

[See sub-rule (3) of Rule 5]

Forms of reference to the Micro and Small Enterprises Facilitation Council

1. Name of the applicant with address.
2. Name of the respondent with address.
3. Nature of the claim.
4. Amount of payment claimed.
5. Amount of interest claimed.
6. Total claim.
7. Any other relief sought
8. Brief description of the claim.
9. Details of documents in support of the claim. (Annexure 1 and 2)
10. Names and addresses of witness, if any
11. Details of application fee deposited
12. Any other information relevant to the claim.

Place :

Date : **Signature of the applicant**

ANNEXURE-1

S. No.	Date of Bill/ Invoice	Bill/ Invoice No.	Bill/ Invoice Amt.	Date of Receipt of Payment	Amt. Received	Balance Amt. Dues	Period Delay/ Interest Payable		Over Due Days	Rate of Interest Applied	Amt. of Interest	Balance Amt. Alongwith Interest	Purchase order No. & date of supply	Due date of delivery	Extended date of delivery
							From	to							

ANNEXURE-2

Requirements from Applicant

1. Copy of bills, delivery challan or any other proof of delivery.
2. Terms of agreement for supply.
3. Correspondence regarding supply from buyer, if any.
4. C. A. certificate regarding Investment in Plant & Machinery in support of SSI.
5. Copy of Balance Sheet for the Year of Petition filed to the council and Balance sheet for the year of first supply.
6. Copy of permanent registration certificate of D. T. I. C.
7. Complete copy of A/C of Buyer party for the period of claim of interest.
8. Details of orders received with terms.
9. To clarify, the date of delivery and raising of bill regarding above orders.
10. Date of receipts appropriated against bills.
11. Furnish calculation of interest form appointed day as per prescribed rate.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 22 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	सिरमिना प. ह. नं. 04	12.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 28 फरवरी 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	पाली	मानिकपुर	3.573	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	मानिकपुर जलाशय की बंड शीट (शीर्ष कार्य) निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 2/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पंडरीपानी	3.976	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	जोराडोंगरी जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 8/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पुटा	1.660	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पुटा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 9/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बगरा	2.708	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पुटा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 जनवरी 2007

क्रमांक 10/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	बस्ती	2.467	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	पुटा जलाशय योजना की शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्र. क्रमांक 3/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नगचुवा	3.149	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	महामाया जलाशय डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्र. क्रमांक 4/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	डिंडोल	6.308	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	महामाया जलाशय डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्र. क्रमांक 5/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	मझवानी	8.036	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	मझवानी जलाशय डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

प्र. क्रमांक 6/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसकें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पीपरपारा	1.283	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	रिंगवार जलाशय डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 3 मार्च 2007

प्र. क्रमांक 7/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	रिंगवार	4.385	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	रिंगवार जलाशय डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/65/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	नवागांव (भावगीर)	0.58	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	मनकेशरी तालाब उन्नयन कार्य हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/68/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	चिवरांज	0.85	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	मनकेशरी तालाब उन्नयन कार्य हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/71/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	कोड़ेजुंगा	0.99	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	मनकेशरी तालाब उन्नयन कार्य हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/74/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	नवागांव (स)	0.08	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	चारामा-हाराडुला भिलाई मार्ग कि. मी. 24/6 पर महानदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/77/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	हाराडुला	0.20	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, जगदलपुर.	चारामा-हाराडुला मार्ग कि. मी. 24/6 पर महानदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/80/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	साल्हेभाठ	3.17	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग, कांकेर.	कानागांव व्यपवर्तन निर्माण में.

कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक/83/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	पीढ़ापाल	5.66	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	कानागांव व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 28 फरवरी 2007

क्रमांक/88/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	चारामा	हाराडुला	0.37	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, (भ/स) कांकेर.	हाराडुला भिलाई मार्ग निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 28 फरवरी 2007

क्रमांक/91/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	भिरौद	6.01	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायींतट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 28 फरवरी 2007

क्रमांक/94/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	खजरावंड	2.00	अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायींतट नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 3/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	खपरी प. ह. नं. 19/37	1.914	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ. ग.)	दायीं छोर वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बिटकुली प. ह. नं. 19/37	5.782	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ. ग.)	दायीं छोर वितरक नहर केसला उप माइनर एवं लालपुर उप-नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 5/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	बीजाभाट प. ह. नं. 45	3.130	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ. ग.)	सेमरिया वितरक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 6/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	मोपकी प. ह. नं. 15/32	1.734	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. डिसनेट संभाग क्र. 3, तिल्दा, जिला-रायपुर (छ. ग.)	मोपकी उप-नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2007

प्र. क्र. 7/अ-82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	कसडोल	सोनाखान	0.850	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बलौदाबाजार.	सोनाखान पहुंच मार्ग

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 6 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	खपरी प. ह. नं. 31	5.095	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	सजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 7 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	चोरहाडीह प. ह. नं. 31	12.121	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण मुख्य नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4 अ/82 वर्ष 2006-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बलौदाबाजार	डोंगरा प. ह. नं. 29	2.403	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध संभाग, क्रमांक-2, बलौदाबाजार.	लवन शाखा नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2007

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-चन्द्रगढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.829 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150	0.243
151	0.130
153/2	0.004
154	0.117
155	0.085
157/2	0.113
157/3	0.024
157/4	0.113
योग	0.829

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-जगतकापा-चन्द्रगढ़ी मार्ग पर आगर नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 5 मार्च 2007

क्रमांक 103/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-कोड़ेकुर्से

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199	0.03
229	0.02
173	0.03
200	0.02
230	0.03
175	0.01
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोड़ेकुर्से भुरके मार्ग के कि. मी. 1/4 में भुरके नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक/108/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर

(ख) तहसील-भानुप्रतापपुर

(ग) नगर/ग्राम-कोड़ेकुर्से

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.48 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
202	0.04
204	0.24
195	0.20
योग	0.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मिचगांव-कोड़ेकुर्से के कि. मी. 7/6 में कोटरी नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 12 फरवरी 2007

क्रमांक/16/भू-अर्जन/अ.वि.अे./4 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-धनगांव, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
550	0.01
551	0.01
557	0.01
582	0.01
566	0.08
584	0.01
586	0.01
593	0.01
566	0.02
585	0.01
566	0.01
567	0.03
566	0.02
योग 13	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कछारडीह जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 12 फरवरी 2007

क्रमांक/15/भू-अर्जन/अ.वि.अ./5 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-महासमुन्द

(ख) तहसील-महासमुन्द

(ग) नगर/ग्राम-मेमरा, प. ह. नं. 31

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.82 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
776	1.35
723/1	0.06
721	0.78
814/2	0.20
720	0.14
794	0.09
819	1.04
820	0.70
772	0.15
802	0.53
810	0.29
811	0.63
809	0.66
814/1	1.39
781	1.84
789	1.23
800	0.67
801	0.88
803	0.22
816	0.35
722	0.31
773	0.53
797	0.51
798	0.74
791	1.36
777	0.57
812/1	0.11
813/1	0.20
813/3	0.11
812/2	0.31
813/2	0.30
812/5	0.10
812/3	0.31
813/5	0.15
812/4	0.10
813/4	0.15
785	0.27
786	0.49
योग 38	19.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- मेमरा जलाशय के डुबान निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक/17/भू-अर्जन/अ.वि.अ./8 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खट्टी, प. ह. नं. 130
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.09 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1278	1.25
1281	0.01
1286	0.05
1290	0.02
1297	0.02
1299, 1592	0.03
1272	0.34
1273	0.84
1274	1.36
1275	1.15
1295, 1591	0.02
योग 11	5.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बिलाही डबरी जलाशय के डुबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 20 फरवरी 2007

क्रमांक/18/भू-अर्जन/अ.वि.अ./9 अ/82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-बुन्देली, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.89 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
72	0.05
71	0.05
226	0.20
223	0.07
224	0.09
222	0.10
242	0.02
241	0.14
236/2	0.05
256/1	0.02
236/1	0.10
योग 11	0.89

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गजगिधनी जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 दिसम्बर 2005

संशोधित

क्रमांक 40/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.460 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1023	0.097
	1024	0.069
	1012/2	0.020
	1012/3	0.020
	737/1	0.061
	737/2	0.036
	738/2	0.024
	739/3	0.024
	735	0.061
	1009, 786	0.012+0.020
	739/2	0.016
योग		0.460

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छपोरा मा.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 दिसम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बारापीपर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.23 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	139/1, 4	0.13
	140/2	0.15
	140/1	0.15
	369/1-6	0.20
	370/4	0.05
	371	0.08
	368/1-3	0.05
	368/1	0.06
	105/1-5	0.05
	103/1-3	0.14
	96/1-2	0.13
	94	0.11
	397/1-2	0.11
	398	0.05
	400	0.06
	444	0.07
	443	0.19
	570	0.09
	567	0.09
	569/1, 2	0.08
	566	0.05
	582/4	0.14
योग	22	2.23

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मेढ़ापाली माइनर क्र.-2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन, के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1984) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बारापीपर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.42 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	2	0.03
	1/1-2	0.08
	3	0.06
	4	0.03
	5/1	0.05
	6/1-2	0.04
	7/1-2	0.11
	11	0.12
	15	0.08
	13	0.05
	16/1-2	0.04
	17/1	0.04
	19/1	0.05
	20/2	0.11
	20/6	0.06
	21	0.13
	24	0.06
	25	0.15
	28	0.06
		0.08
	31	0.16
	32/1-4	0.11
	33	0.09
	52/1-6	0.21
	50	0.14
	46/2, 47	0.15
	668/1-3	0.13
योग	27	2.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चन्द्रपुर वितरक नहर के मेंढ़ापाली माइनर क्र.-1.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक/195/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-बोड़सरा, प. ह. नं. 3

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.104 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	442/4	0.036
	908/7, 909/2	0.040
	441/3	0.028
योग	03	0.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक/196/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कचंदा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.111 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2086	0.055
	2087/2	0.036
	2325/2	0.020
योग	03	0.111

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कचंदा वितरक 6 एल माइ. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 31 जनवरी 2007

क्रमांक/197/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	862/1	0.024
	859/5, 7, 8, 11, 13	0.016
योग	2	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हरिया माइ. III नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/2?4/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरेकेलखुर्द, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.058 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
150/2	0.020

(1)	(2)
113/2, 3	0.016
169, 170	0.022
योग 03	0.058

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बरेकेल माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक/205/भू-अर्जन/2007/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-जर्वे, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.784 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
245	0.016
247/1	0.020
247/2	0.016
249	0.004
305/2	0.020
598/3	0.008
606	0.028
719/3	0.109
581	0.032
587	0.053
573	0.016
570	0.012
569/2	0.008
567	0.061
564	0.048
566	0.028
565	0.028
742/2	0.016
740/1	0.060
742/3	0.008
741/1	0.016
603, 604	0.024
716/2	0.069
741/3, 4	0.004
579/1	0.016
598/4	0.036
579/2	0.016
514, 577	0.012
योग 28	0.784

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- गाडामोर माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 41.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सरहर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.592 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1095/2	0.065

(1)	(2)
1095/5	0.113
1095/1	0.138
1095/11	0.016
1095/9	0.113
1079/3	0.057
1070/1	0.150
1042/3	0.150
1067/1	0.085
1067/2	0.089
1065/4	0.040
1057/11	0.057
1057/6,1057/9	0.150
1058	0.081
1059/3	0.057
1042/11	0.081
1041/1	0.150
योग 17	1.592

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरहर सब माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 42.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2), में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसीर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.045 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
719/1	0.045
योग	0.045

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- ससहा सब माइनर नं. 4 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 43.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोसीर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
272/16	0.045
340	0.008
योग 2	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढाबाडीह डि. ब्यू. अंत. कोसीर माइ. नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 फरवरी 2007

क्रमांक 44.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-भिलौनी, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
260/1	0.036
योग	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोंगा कोहरौद माइ. नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 21 फरवरी 2007

क्रमांक /अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 29 अ/82, वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-आमासिवनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.291 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
127/1, 3, 4	0.161
127/2	1.085
218/4	0.749
218/7	0.385
232/4	0.911
योग 7	3.291

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जोरा-सड्डू-धनेली (बायपास क्र.-3) रायपुर का निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन, रायपुर के कार्योलय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 13 अ/82, वर्ष 2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-पलारी, प. ह. नं. 32
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.858 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1626/15	0.594
1626/16	0.364
1626/1	0.303
1532/2	0.053
1600/2	0.069
1600/1	0.121
1601/1	0.012
1626/26	0.069
1624	0.077
1626/24	0.196
योग 10	1.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लकड़िया पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि को नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार जिला रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 27 फरवरी 2007

संशोधन

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कटघोरा
- (ग) नगर/ग्राम-कसाईपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-78.049 हेक्टेयर

क्र.	पूर्व में भेजे गये अनुसूची का क्रमांक	राजपत्र में प्रकाशित		राजपत्र में जो प्रकाशन होना है, प्रकाशन हेतु संशोधित प्रस्ताव	
		खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	6	186/1 च	0.64	186/1 च	0.640
2.	9	186/1 ढ	0.0081	186/1 ढ	0.081
3.	22	190/2	0.02	190/2	0.020
4.	24	193/1	0.17	193/1	0.170
5.	31	195/2 ग	1.194	195/2 ग	1.032

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	38	196/1	0.34	196/1	0.340
7.	41	198/2	0.0134	198/2	0.134
8.	42	198/3	0.0053	198/3	0.053
9.	61	203/5	0.0101	203/5	0.101
10.	170	256/1 च	0.970	256/1 च	0.097
11.	214	263/13	0.251	263/13	0.243
12.	219	263/20	0.405	263/20	0.293
13.	240	263/54	0.809	263/54	0.404
				263/57	0.405
14.	244	264/3	0.261	264/3	0.271
15.	250	265/7	0.081	265/7	0.809
16.	265	271	0.080	271	0.008
17.	270	276/4	0.624	276/4	0.422
18.	271	276/6	0.071	276/6	0.709
19.	305	284/6	0.011	284/6	0.113
20.	308	285/3	0.530	285/3	0.053
21.	11	186/1 च	0.024	186/1 थ	0.024
22.	173	256/1 भ	0.049	256/1 ञ	0.049
23.	185	256/1 इ	0.093	256/1 ह	0.093
24.	266	264/1	0.101	274/1	0.101
25.	267	264/2	0.101	274/2	0.101
26.	268	265/3	0.049	275/3	0.049
27	269	276/2, 276/10	0.696	276/3, 276/10	0.696

राजपत्र में प्रकाशन होने से छुट गये थे जिसका प्रकाशन किया जाना है

राजपत्र में प्रकाशन होने से छुट गये थे जिसका प्रकाशन किया जाना है			राजपत्र में प्रकाशन हुए हैं जिसे विलोपित किया जाना है			
क्र.	खसरा नम्बर	रकबा	क्र.	राजपत्र का क्रमांक	खसरा नं.	रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	207	0.016	01	208	263/6	0.526
2.	208	0.004				
3.	209	0.036			निरंक	
4.	269/4	0.325				

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी राजस्व, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल में नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007

विषय :- नगरपालिका परिषद् महासमुन्द की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण/तैयार किया जाना.

क्रमांक एफ 23/रानिआ/न. पा./मत सूची/2007/189.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा-47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद् महासमुन्द के अध्यक्ष को वापस बुलाये जाने के संबंध में मतदान कराने का अनुरोध राज्य शासन से आयोग को प्राप्त हुआ है. अत: छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम-1961 की धारा-47 (3) के अन्तर्गत अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कराया जाना है.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम-1994 के नियम-8 (2) के अनुसार नगरपालिका के प्रत्येक निर्वाचन/उप निर्वाचन के पूर्व उस नगरीय निकाय की मतदाता सूची उस वर्ष के जनवरी माह के प्रथम दिवस के आधार पर तैयार/पुनरीक्षित करना आवश्यक है, जिस वर्ष में निर्वाचन कराया जाना है. अतएव नगरपालिका परिषद् महासमुन्द की मतदाता सूचियां 01 जनवरी 2007 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार/पुनरीक्षित किया जाना होगी.

3. नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका (मार्च 2004 संस्करण) की पर्याप्त प्रतियां नगरपालिका आम निर्वाचन 2004 के समय आपको भेजी गई है. 01 जनवरी 2007 की संदर्भ तिथि के आधार पर नगरपालिका परिषद् महासमुन्द की मतदाता सूची तैयार किये जाने की कार्यवाही इस निर्देश पुस्तिका में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जायेगी.

4. नगरपालिका परिषद् महासमुन्द की मतदाता सूची 01 जनवरी 2007 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार की जायेगी. अत: उप जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) विधान सभा की प्रचलित/पिछली मतदाता सूची की दो प्रतियां भारत निर्वाचन आयोग के जिला स्तरीय निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे.

मतदाता सूची तैयार करने के कार्य के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा अपील अधिकारी वे ही रहेंगे जिन्हें आयोग के आदेश क्रमांक एफ 66/रानिआ/न. पा./रजि. अधि./नियुक्ति/05 दिनांक 16-08-2005 द्वारा पदाभिहित किया गया है. प्रसंगत: पदाभिहित अधिकारियों की यह सूची आयोग द्वारा प्रकाशित नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार अधिकारियों की यह सूची आयोग द्वारा प्रकाशित नगरपालिका निर्वाचन के लिए मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में निर्देश पुस्तिका (मार्च 2004 संस्करण) के परिशिष्ट-तीन पर दी गई है.

5. मतदाता सूची तैयार करने के कार्यवाही परिशिष्ट-1 में संलग्न मतदाता सूची कार्यक्रम (समय अनुसूची) के अनुसार संपन्न की जायेगी.

मतदाता सूचियों की 50 प्रतियां मुद्रित कराई जाएगी.

6. नगरपालिका निर्वाचन मतदाता सूची का मुद्रण कराये जाने के संबंध में आयोग द्वारा मार्च 2004 में पुस्तिकाकार में निर्देश जारी किये गये हैं. मतदाता सूची का मुद्रण इन्हीं निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए कराया जाये.

7. मतदाता सूची के निरीक्षण/प्रकाशन की व्यवस्था आयोग द्वारा जारी निर्देश पुस्तिका के अध्याय-03 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप किये जाये.

दावें तथा आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनकी जांच एवं निंपटारा करने की कार्यवाही निर्देश पुस्तिका के अध्याय-4 एवं 6 में बतायी गई प्रक्रिया के अनुसार की जाये. तत्पश्चात् अंतिम मतदाता सूची तैयार करने और उसका प्रकाशन करने की कार्यवाही निर्देश पुस्तिका के अध्याय-7 में उल्लिखित निर्देशों के अनुरूप पूर्ण की जाए.

8. मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन हो जाने की सूचना दिनांक 23-4-2007 को फैक्स द्वारा आयोग को भेजी जाए.

9. कृपया पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति आयोग को फैक्स द्वारा तत्काल भेजी जाये.

रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007

क्रमांक एफ 23/रानिआ/न. पा./मत. सूची/07.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 4, 5 एवं 6 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा नगरपालिका परिषद् महासमुन्द जिला-महासमुन्द के अध्यक्ष को वापस बुलाने के लिए मतदान हेतु मतदाता सूची 01 जनवरी 2007 की संदर्भ तारीख के आधार पर तैयार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम (समय अनुसूची) निर्धारित करता है :-

क्र.	कार्यवाही विवरण	निर्धारित तारीख
	प्रथम चरण	
1.	रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति	23-02-07
2.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करने हेतु कर्मचारियों का चयन	24-02-07
3.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची तैयार करना	26-02-07 से 06-03-07 तक
4.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का एक सेट जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के कार्यालय में जमा कराया जाना.	08-03-07
5.	प्रारंभिक (प्रारूप) मतदाता सूची का मुद्रण	16-03-07
	द्वितीय चरण	
1.	मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में प्रचार-प्रसार प्राधिकृत कर्मचारियों की नियुक्ति और उनका प्रशिक्षण, सांसदों/विधानसभा सदस्यों/पार्षदों को सूचना भेजना तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रारूप सूची उपलब्ध कराना.	19-03-07
2.	प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन और दावे तथा आपत्तियों प्राप्त करने की कार्य की शुरूवात.	26-03-07
3.	दावे तथा आपत्तियों के प्राप्त की अंतिम तारीख	03-04-07
4.	प्राप्त दावों तथा आपत्तियों के निपटारे की अंतिम तारीख	10-04-07
5.	वार्डवार अनुपूरक सूचियां तैयार करना	13-04-07
6.	अनुपूरक सूचियों का मुद्रण	18-04-07
7.	अनुपूरक सूचियां, मूल (प्रारंभिक) सूचियों के साथ जोड़ा जाना	20-04-07
8.	मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन	23-04-07

ओंकार सिंह,
सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2007

विषय :- नगरपालिका परिषद् महासमुन्द की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण/तैयार किया जाना.

क्रमांक एफ 23/रानिआ/न. पा./मत सूची/2007/206.—राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ 23/रानिआ/न. पा./मत सूची/2007/189 रायपुर, दिनांक 19 फरवरी 2007 के कंडिका-4 में उल्लेखित आदेश क्रमांक एफ 66/रानिआ/न. पा./रजि. अधि./नियुक्ति/05 दिनांक 16-08-2005 के स्थान पर आदेश क्रमांक एफ 66/रानिआ/न. पा./रजि. अधि./नियुक्ति/04 दिनांक 17 मई 2004 पढ़ा जावे.

ओंकार सिंह,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, कोरिया, बैकुंठपुर (छत्तीसगढ़)

बैकुण्ठपुर, दिनांक 24 फरवरी 2007

आकस्मिक रिक्ति की सूचना

[छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 40 के अन्तर्गत]

क्रमांक 34/डूडा/2007.—श्री रामप्रसाद निर्वाचित पार्षद वार्ड क्रमांक 12 तथा उपाध्यक्ष नगर पंचायत झगराखाण्ड, जिला-कोरिया (छ. ग.) ने छ. ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 17-01-2007 को लिखित रूप से स्वेच्छा से उपाध्यक्ष एवं पार्षद के पद से त्यागपत्र देते हुए उसे स्वीकार करने का निवेदन किया है.

उक्तानुसार प्राप्त त्यागपत्र की वास्तविकता के बारे में समाधान कर लिया गया है तथा उपरोक्त कारण की पुष्टि होने के उपरांत श्री रामप्रसाद निर्वाचित पार्षद सरदार पटेल वार्ड, वार्ड क्रमांक 12 एवं उपाध्यक्ष नगर पंचायत झगराखाण्ड का पार्षद पद से दिनांक 17-01-2007 को दिया गया त्यागपत्र छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 40 की उपधारा (2) (एक) में विहित प्रावधान के अन्तर्गत एतद्द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

यह भी अधिसूचित किया है कि श्री रामप्रसाद के त्यागपत्र के कारण नगर पंचायत झगराखाण्ड के सरदार पटेल वार्ड, वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

शहला निगार,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 70/Confdl./2007/II-2-1/2007.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sanjay Kumar Jaiswal, VI Additional District & Sessions Judge.	Durg	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 8th February 2007

No. 72/Confdl./2007/II-15-21/2000 (Pt.-IV).—The following Additional District Judge, as specified in Column No. (2), is transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office and ;

The following Additional District Judge is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently Posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Phoolsingh Penkra, III Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)	Raigarh	Janjgir	Janjgir-Champa	II Additional District & Sessions Judge (F. T. C.)

बिलासपुर, दिनांक 8 [illegible] री 2007

क्रमांक 987/तीन-22-3/2000 (बिलासपुर-को [illegible] (क्रमांक 19 सन् 1958) धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायाल [illegible] यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, बिलासपुर अपने घोषि [illegible] रा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में कोटा तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं [illegible]

[illegible] r, the 8th February 2007

No. 987/III-22-3/2000 (Bi [illegible] a) —In exercise of the powers conferred by section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. [illegible]) the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Vth Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate Fir [illegible], Bilaspur in addition to his place of sitting at Bilaspur declared shall also sit at Kota to dispose of Civil and Cri [illegible] Cases arising out of Kota Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

By Order of the High Court,
H. S. MARKAM, Registrar General.